(वाद सं0–6787/4/26/2020)

29.10.2021

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, कृष्णा मोची, को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किये जाने के बाद भी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, सिकरिया शाखा द्वारा ऋण मुहैया नहीं कराने तथा इस संबंध में पूछ–ताछ करने पर उक्त बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा अनाप–शनाब बोलने व प्रताड़ित करने से संबंधित है।

उक्त पर शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, सिकरिया से प्रतिवेदन की मांग की गयी। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी द्वारा पूर्व में डेयरी योजना के अन्तर्गत ऋण लिया गया था जिस ऋण की यदायगी नहीं करने पर ऋण एन0पी0ए0 हो चुका था। इसी कारण परिवादी को पुनः ऋण स्वीकृत नहीं किया गया। शाखा प्रबंधक द्वारा कृष्णा मोची के परिवाद पत्र में उनके द्वारा लगाये गये आरोपों को निराधार बताया गया है।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी अपने प्रत्युत्तर में इस बात को स्वीकार करते है कि उनके द्वारा डेयरी योजना के तहत 01 लाख रुपये का ऋण लिया गया था जिसमें, परिवादी के अनुसार, 35 हजार रुपये अनुदान था। परिवादी यह भी स्वीकार करते है कि उस लिये गये ऋण हेतु उससे 30 हजार दस रूपये समझौता के तहत जमा कराया गया।

प्रसंगाधीन मामला, बैंक से ऋण लेने से संबंधित है जिसके संबंध में राज्य मानवाधिकार आयोग को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुसूचि–01 का विषय है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक